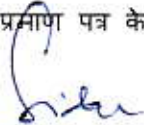


उ० प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14.3.1980/82 वन अनुभाग-3, दिनांक 31.12.1984 द्वारा

निर्धारित मानक शर्तें

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा यह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित अथवा किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का सयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बंधित अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी के देखरेख में कराएगा तथा इसके सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छदित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाए केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/ पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य परियोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" के अतिरिक्त मुख्या अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/ सी दिनांक 10.02.1982 में लिखित आदेशों का पालन भी "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर-बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधित प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।


SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Indian Petroleum Corporation Limited

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ० प्र० वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी० एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विधुत लाइन से जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि का निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो याचक को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर दिया जाए अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं, सिद्धार्थ जैन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, कानपुर (रिटेल) टेरिटरी (उत्तर प्रदेश) प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उसका अनुपालन किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.